(4)

AAP-A

Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा ....

.... पप्पू वगै. .... बनाम .... भूरा वगै. ....

किस्म मुकदमा नं0 .... 65/25 टीनेन्सी .... सन् .... 2024 ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/1/26	आज PO साहब अन्य काम मे/मीटिंग/दौरे मे/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना मे दिनाक 16/2/26 को पेश हों	
16/2/26	वकील प्रार्थी उप0/ वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 10/3/26 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
10/03/26	वकील प्रार्थी उप0 / प्रार्थीगण अधिवक्ता की अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना प्रतीत होती है। अतः प्रकरण में वर्णित भूमि के वाद की सुनवाई के दौरान खुर्द–बुर्द की संभावना को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना उभयपक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ग्राम जौपाडा पटवार हल्का जौपाडा भू.अभि.नि.क्षेत्र भांकरी तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 886 रकबा 0.29 है0, ख0 नं. 887 रकबा 0.31 है0, ख0 नं. 888 रकबा 0.36 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर के मूलवाद के निस्तारण तक राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व मूलवाद के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर दौसा, जिला दौसा	